सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र**
**विशेषांक**

**साधिकार प्रकाशित**

**RAJASTHAN GAZETTE**
**Extraordinary**

**Published by Authority**

श्रावण 26, बुधवार, शाके 1944-अगस्त 17, 2022
*Sravana 26, Wednesday , Saka 1944- August 17, 2022*

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**कृषि (ग्रुप-2)विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अगस्त 01, 2022**

**संख्या प.4(15) कृषि/ग्रुप-2/2022 :-**राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वर्तमान कृषि उपज मण्डी समिति केशोरायपाटन बूंदी के क्षेत्र में से नगरपालिका कापरेन तथा नगरपालिका लाखेरी का समस्त क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत माखीदा, बडाखेडा, पापडी, सखावदा, बसवाडा, उत्तराना, बोरदा-काछियाना, हिंगोनिया, देहीखेडा, गौहाटा, नौताडा, रेबारपुरा, खरायता, लबान, बलकासा, बालोदा, रोटेदा, आजरदा, घाट का बराना, चरडाना के सम्पूर्ण क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति कापरेन के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति अथवा सुझाव पर, जो इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुंचेगे, राज्य सरकार द्वारा उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जावेगा।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

नसीम खान,
**शासन उप सचिव।**



**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**